



Sainik Associates

12/2, Adhana Tower, Main Mathura Road,
Sec-37, Opp. Pillor No. 75,
Faridabad - 121003 (HR)

आवासीय भूखण्ड योजना

Booking ID

आवेदन पत्र

आवेदक का नाम :

माता का नाम : श्रीमती :

पिता/पति का नाम : श्री :

जन्म की तारीख : लिंग : पुरुष स्त्री

स्थायी पता :

..... राज्य

1. मोबाईल नं. : 2. मोबाईल नं. :

पैन कार्ड नं. : ई-मेल :

उत्तराधिकारी : सम्बन्ध : उम्र :

स्पॉन्सर डिटेल

स्पॉन्सर का नाम आई. डी. (ID) : L R

पेमेन्ट डिटेल

बुकिंग राशि : कैश चेक UPI

कुल कीमत एग्रीमेन्ट राशि

पहली किस्तों की राशि प्रति माह, अगली किस्तों की राशि प्रति माह,

अगली किस्तों की राशि प्रति माह, अगली किस्तों की राशि प्रति माह

किस्त जमा करने की सीमा माह

प्लॉट नं. / दुकान नं. : वर्ग गज

साईट का नाम फेस

अपना आई. डी. नं. : आवेदन की तारीख

अपलाइन के हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक नियम व शर्तें

1. योजना में एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करवाने पर किसी मित्र के साथ प्रार्थना पत्र देने पर एक ही लाइन या बड़े आकार का भू-खण्ड आवंटित किया जा सकता है।
2. यदि सदस्य अपनी सदस्यता के बदले योजना के भू-खण्ड को किसी अन्य को बेचना चाहता है तो प्रबंधक कार्यालय में संपूर्ण कार्यवाही हेतु दोनों एजेंट/पार्टियों को एक साथ आना होगा एवं संपूर्ण कार्यवाही करनी होगी।
3. नियम के विरुद्ध कार्य करने व अनाधिकृत जमीन बेचने पर मैनेजमेंट आवंटी द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जाएगी उसका आवंटन पत्र निरस्त माना जाएगा, साथ ही ऐसे सदस्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
4. यदि प्रबंधक या सदस्यों के बीच भविष्य में कोई विवाद होता है तो पंच निर्णय के अंतर्गत निपटाया जाएगा परंतु न्याय क्षेत्र फरीदाबाद प्रबंधक कार्यालय में होगा।
5. फॉर्म में लिखित संपूर्ण विवरण के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मौखिक वायदो या आश्वासन पर विश्वास न करें। एजेंट पर विश्वास करना सदस्य पर निर्भर करता है।
6. मैंने इस योजना में जमीन की स्थिति देख ली है, जो मुझे स्वीकार है।
7. मैंने इस योजना के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त कर ली है।
8. मैनेजमेंट समय-समय पर प्रबंधक द्वारा नई स्कीम में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
9. उपरोक्त भूमि यदि किसी भी प्रकार से सरकारी अधिकार में आती है या कोई फेरबदल होता है तो उसका स्थान परिवर्तन करने का अधिकार मैनेजमेंट के पास सुरक्षित है (आवेदक को मान्य होंगे)।
10. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कर सदस्य द्वारा देय होगा।
11. एजेंट को किस्त देने के पश्चात रसीद प्राप्त करना सदस्य की स्वयं की जिम्मेदारी है।
12. भू-खंड हेतु आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है।
13. चेक बाउंस होने पर या किस्त विलंब से जमा कराने पर विलंब शुल्क देय होगा एवं सदस्य का चेक कंपनी दोबारा नहीं लेगी।
14. लगातार 5 किस्ते जमा न करवाने की दशा में प्लॉट रद्द हो जायेगा एवं कोई वापिसी नहीं होगी।
15. आवेदक यदि 3 माह की किस्त जमा करने के बाद प्लॉट कौन्सिल करता है तो कोई राशि वापस नहीं की जायेगी।
16. यदि सदस्य अपनी सदस्यता किसी के नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तो पहले 1000 रुपये एक फार्म पर तथा 1000 रुपये कब्जे के बाद देना होगा। नोट-समयानुसार शुल्क बढ़ाया जा सकता है।
17. आवेदक द्वारा 12 माह की किस्त जमा करने के बाद प्लॉट की बुकिंग कौन्सिल करवाने पर कंपनी द्वारा प्लॉट के लिए खर्च की गयी राशि को काटने के बाद शेष राशि को अधिकतम 2500/- की मासिक किस्तों में वापस किया जायेगा।
18. योजना में टू-साईड ओपन भू-खण्ड की कीमत पेमेन्ट प्लान के अनुसार अधिक देय होगा। भूखंड का आकार अधिक होने पर शेष राशि का एकमुश्त भुगतान सदस्य द्वारा करना होगा।
19. सदस्यों की सुविधा हेतु पानी, बिजली कनेक्शन शुल्क एवं नगर पालिका डेवलपमेंट कन्वर्जन चार्जस कंपनी प्रबन्धन द्वारा सदस्यों से एकत्रित करके जमा करवाया जा सकता है।
20. समय पर किस्त जमा नहीं करवाने पर ₹ 500/- प्रतिमाह पेनल्टी देनी होगी।
21. मैंने योजना की सभी शर्तें पढ़ ली हैं एवं मुझे स्वीकार्य हैं, सोच समझ कर सदस्यता/बुकिंग फॉर्म भर रहा हूँ/रही हूँ।